न्यायमूर्ति जे. *वी. गुप्ता,* सी. *जे. और आर. एस. मोंगिया, जे.* के समक्ष

पी. सी. वाधवा, आई. पी. एस.,-अपीलार्थी।

बनाम

हरियाणा राज्य-उत्तरदाता।

1986 का पत्र पेटेंट अपील *सं.* 108।

3 अक्टूबर, 1990।

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954- नियम 9, अनुसूची III *-एक संवर्ग पद के समतुल्य पूर्व संवर्ग पद बनाने की घोषणा-संवर्ग पद को बाद में उच्च पद के पद द्वारा* प्रतिस्थापित *किया* जाता *है-प्रतिस्थापन का प्रभाव-पद के इस तरह के प्रतिस्थापन को स्वतः समतुल्यता की घोषणा में नहीं पढ़ा जा सकता है और वह व्यक्ति जो उच्च पद के वेतनमान का हकदार नहीं है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब पुलिस महानिरीक्षक के पद को पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो वेतन नियमों की अनुसूची में संशोधन विधायी प्रकृति का था, जबकि नियम 9(1) के तहत घोषणा देना वेतन नियमों की प्रकृति कार्यकारी थी और इसलिए, पद के प्रतिस्थापन द्वारा वेतन नियमों के नियम 9(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी घोषणा में अनुसूची III में स्वचालित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह अभिनिर्णय सही था कि किसी पद के प्रतिस्थापन के माध्यम से अनुसूची III के संशोधन पर, उसी प्रतिस्थापन को घोषणा में स्वचालित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। अनुसूची का संशोधन और नियम 9(1) के तहत घोषणा अलग-अलग क्षेत्रों का हिस्सा है और यदि एक क्षेत्र में कुछ होता है तो यह स्वचालित रूप से नहीं माना जाएगा कि दूसरे क्षेत्र में भी हुआ है। (पैरा 5)

यद्यपि, जब अपीलकर्ता को गैर-संवर्ग पद पर नियुक्त किया गया था और वेतन नियमों के नियम 9 (1) द्वारा परिकल्पित तुल्यता की घोषणा जारी की गई थी, तो पुलिस महानिरीक्षक का पद अनुसूची में बहुत अधिक था।यदि पद को समाप्त कर दिया जाता है तो वह

घोषणा अभी भी लागू रहेगी क्योंकि नियम 9 के तहत घोषणा का पूरा विचार यह है कि पदधारी को पता होना चाहिए कि उसकी स्थिति और जिम्मेदारी संवर्ग में किसी पद के बराबर है। (पैरा 6)

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1764 में माननीय न्यायाधीश एम. एम. पुंछी *द्वारा* दिए *गए निर्णय के खिलाफ* लेटर्स *पेटेंट पत्र, दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 के* खंड *10* के तहत अपील।

याचिकाकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप *से पी. सी. वाधवा।*

प्रतिवादी की ओर से *अधिवक्ता पी. एन. मकानी।*

न्याय

न्यायाधीश आर. एस. मौंगिया

(1) अपीलकर्ता (रिट-याचिकाकर्ता), एक आई.पी.एस. अधिकारी को 11 जनवरी, 1979 को पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उन्हें कमांडेंट जनरल होम गार्ड और निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा के गैर-कैडर पद पर तैनात किया गया था। बाद में, उन्हें हरियाणा के कारागार महानिरीक्षक के एक अन्य गैर-कैडर पद पर नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे उस तिथि तक कार्यरत थे जब उनकी रिट-याचिका पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया था।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 (जिसे इसके बाद वेतन नियम कहा जाता है) की अनुसूची III में विभिन्न राज्यों में आई. पी. एस. संवर्ग के विभिन्न पदों का उल्लेख किया गया है।हरियाणा राज्य में, आई. पी. एस. में कैडर पदों में से एक पुलिस महानिरीक्षक था, जो रुपये के वेतनमान के साथ उच्च शोध में सर्वोच्च पद था। 2,500-125/2-2,750। वेतन नियमों के नियम 9 में प्रावधान है कि सेवा के किसी भी सदस्य को नियुक्त नहीं किया अनुसूची III में निर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रण वाले पदों

के संबंध में यह घोषणा नहीं करती है कि उक्त पद स्थिति और जिम्मेदारी में उक्त अनुसूची 1 में निर्दिष्ट पद के बराबर है। त्वरित संदर्भ के लिए, वेतन नियमों का नियम 9 नीचे उद्धृत किया गया है: -

(I) सेवा के किसी भी सदस्य को अनुसूची III में निर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रण वाले पदों के संबंध में या केंद्र सरकार अपने नियंत्रण वाले पदों के संबंध में, जैसा भी मामला हो, यह घोषणा नहीं करती है कि उक्त पद स्थिति और जिम्मेदारी में उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट पद के बराबर है।

(II) अनुसूची III में किसी पद (निर्दिष्ट पद के अलावा) पर नियुक्ति पर सेवा के किसी सदस्य का वेतन उतना ही होगा जितना वह हकदार होता, यदि उसे उस पद पर नियुक्त किया जाता जिसके लिए उक्त पद को समतुल्य घोषित किया गया है।

(III) इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'अनुसूची III में निर्दिष्ट पद के अलावा अन्य पद' में 'किसी निगमित निकाय' के तहत एक पद शामिल है या नहीं; जो पूरी तरह या काफी हद तक 'सरकार द्वारा नियंत्रित' है।

(IV) इस नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,, संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रण में किसी भी पद के संबंध में, या केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में किसी भी पद के संबंध में, पर्याप्त कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर सकती है, जहां समीकरण संभव नहीं है , यह घोषणा किए बिना कि उक्त पद अनुसूची III में निर्दिष्ट पद की स्थिति और जिम्मेदारी के बराबर है, किसी भी ऐसे पद पर सेवा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकती है।

(V) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति पर सेवा का कोई सदस्य, जिसके संबंध में कोई वेतन या स्केल निर्धारित नहीं किया गया है, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी दर से वेतन प्राप्त करेगा। राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी पद के मामले में केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार, पद में शामिल कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित कर सकती है।

(VI) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति पर सेवा का एक सदस्य, जिसके संबंध में कोई वेतन या वेतनमान निर्धारित किया गया है, जहां वेतन निर्धारित किया गया है, वहां निर्धारित वेतन प्राप्त करेगा और जहां वेतनमान निर्धारित किया गया है, वहां वेतन की ऐसी दर, जो राज्य सरकार द्वारा, या जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में तय किए गए अधिकतम वेतनमान से अधिक न होः

बशर्ते कि उप-नियम और उप-नियम (5) के तहत किसी अधिकारी को दिया जाने वाला वेतन किसी भी समय उस वेतन से कम नहीं होगा जो उसने प्राप्त किया होता यदि उसे उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त नहीं किया गया होता।

(3) उपरोक्त नियम को पढ़ने से पता चलेगा कि यदि कोई आई.पी.एस. अधिकारी को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है, जो वेतन नियमों की अनुसूची III में उल्लिखित नहीं है, यानी, उसे एक पूर्व संवर्ग के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो राज्य सरकार को एक घोषणा करने की आवश्यकता होती है कि पूर्व संवर्ग का पद अनुसूची III में उल्लिखित संवर्ग में एक पद के बराबर है। चूंकि अपीलकर्ता को कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स और डायरेक्टर, सिविल डिफेंस, हरियाणा के एक गैर-संवर्ग पद पर और बाद में फिर से एक अन्य गैर-संवर्ग पद या जेल महानिरीक्षक में तैनात किया गया था,

इसलिए हरियाणा राज्य ने वेतन नियमों के नियम 9 (1) की आवश्यकता के अनुसार 11 जनवरी, 1979 को एक घोषणा जारी की, (अनुलग्नक पी-1) जिसमें कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स और निदेशक, नागरिक सुरक्षा,, हरियाणा और जेल महानिरीक्षक, हरियाणा के पद की घोषणा की गई, जो पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा के पद की स्थिति और जिम्मेदारी के बराबर था, जो वेतन नियमों की अनुसूची III में उल्लिखित एक संवर्ग पद था।पक्षकारों के बीच इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं था कि अपीलकर्ता, पुलिस महानिरीक्षक के उक्त पद की स्थिति और जिम्मेदारी में समानता की घोषणा के कारण, हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक के वेतनमान का हकदार था, क्योंकि वह हरियाणा के कमांडेंट होम गार्ड और जेल महानिरीक्षक के रूप में काम कर रहा था।

(4) 20 अक्टूबर, 1982 को-संलग्नक *पी-2* के माध्यम से, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य से संबंधित वेतन नियमों की अनुसूची III में संशोधन किया, जिसके तहत पुलिस महानिरीक्षक के वेतनमान से संबंधित प्रविष्टि के लिए रु। 2,500-125/!2–2,750 प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 'महानिदेशक और निरीक्षक पुलिस के जनरल, 3, 000 प्रति माह रुपये का वेतन ले **रहे** हैं।अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता के अनुसार, चूंकि वेतन नियमों की अनुसूची III में पुलिस महानिरीक्षक के पद को पुलिस 'महानिदेशक और महानिरीक्षक' के पद से प्रतिस्थापित किया गया था, इसलिए वह स्वचालित रूप से आदेश, में पढ़ने का हकदार हो गया। अनुलग्नक पी-1, (समानता की घोषणा) उसकी स्थिति और जिम्मेदारी पुलिस के 'महानिदेशक और महानिरीक्षक' के प्रतिस्थापित पद के समकक्ष होगी। उसने वास्तव में रुपये निकालना शुरू कर दिया। उक्त तिथि से 3,000 'अपीलकर्ता ने हरियाणा राज्य से केवल पुलिस महानिरीक्षक के बजाय पुलिस के 'महानिदेशक और महानिरीक्षक' की समकक्षता को बदलने के लिए आवश्यक औपचारिक आदेश देने की मांग की। हालाँकि, हरियाणा

राज्य ने 8 मार्च, 1985 (अनुलग्नक पी-3) को 11 जनवरी, 1979 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करने के आदेश जारी किए, जो निम्नलिखित प्रभाव में है: -

" जेल महानिरीक्षक, हरियाणा के पूर्व संवर्ग के पद को 20 अक्टूबर, 1982 से प्रभावी होने वाले उक्त नियमों की अनुसूची III के भाग-ए में निर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक के पद की स्थिति और जिम्मेदारी के बराबर माना जाएगा । वह तारीख, जब भारत सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पूर्व-कैडर पद के संवर्गीकरण के कारण पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा का कैडर पद अस्तित्व में नहीं रहा।

अपीलकर्ता के अनुसार, दिनांक 8 मार्च, 1985 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश द्वारा संशोधित घोषणा स्व-विरोधाभासी थी, क्योंकि हरियाणा राज्य के पास पुलिस महानिरीक्षक के पद का कोई पद नहीं बचा था। क्योंकि उसके स्थान पर 'पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक' के एक अन्य पद को प्रतिस्थापित किया गया था, और इसलिए, घोषणा कानून की दृष्टि से खराब थी क्योंकि इसे अनुसूची में मौजूद पदों की समकक्षता के संबंध में होना था, न कि एक अस्तित्वहीन पोस्ट के लिए। उल्लेखनीय है कि 8 मार्च, 1985 को घोषणा में संशोधन किए जाने के बाद, राज्य सरकार का विचार था कि अपीलकर्ता रुपये 2,750 से अधिक वेतन नहीं ले सकता है। अपीलकर्ता ने आदेश (अनुलग्नक पी-3) को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की और राहत का दावा किया कि या तो यह घोषित किया जाए कि पुलिस महानिरीक्षक के पद के स्थान पर 'पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक' को संशोधन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाए। वेतन नियमों की अनुसूची III के अनुरूपता के संबंध में घोषणा, अनुलग्नक पी-1 में स्वचालित प्रतिस्थापन था और 'पुलिस महानिरीक्षक' शब्द को स्वचालित रूप से 'पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या वैकल्पिक रूप से राज्य सरकार को

अपीलकर्ता के पूर्व-संवर्ग पद को कुछ पदों के बराबर घोषित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जो संवर्ग में अस्तित्व में थे जैसा कि वेतन नियमों की अनुसूची III में दर्शाया गया है।

(5) विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियम, 1977 के नियम 3 के आधार पर, हरियाणा राज्य के महानिरीक्षक वैधानिक रूप से 250 रुपये प्रति माह की दर से विशेष भत्ते के हकदार थे। चूंकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता पुलिस महानिरीक्षक के अधिकतम वेतनमान की अधिकतम सीमा (2,750 रुपये) तक पहुंच गया था, वह उपरोक्त उद्धृत नियम के तहत विशेष भत्ते के रूप में 250 रुपये प्रति माह का हकदार था। नतीजतन, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता का वेतन 3,000 रुपये से घटाकर 2,750 रुपये नहीं किया जा सकता है और वह प्रति माह 3,000 रुपये का वेतन प्राप्त करने का हकदार है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि फैसले के इस भाग के खिलाफ, राज्य ने एल.पी.ए. 1986 का क्रमांक 89, दायर की थी, जिसे 3 फरवरी 1986 को ख़ारिज कर दिया गया था । जहां तक मामले के दूसरे पहलू का सवाल है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि जब पुलिस महानिरीक्षक का पद 'पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो वेतन नियमों की अनुसूची में संशोधन विधायी था। जबकि, वेतन नियमों के नियम 9(1) के तहत घोषणा देना कार्यकारी प्रकृति का था, और इसलिए, अनुसूची III में पद के प्रतिस्थापन द्वारा नियम 9 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा में स्वचालित रूप से पढ़ा नहीं जा सकता था । अपीलकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ वह हमें मामले पर अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी नहीं कर सका। हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह अभिनिर्णय सही था कि किसी पद के प्रतिस्थापन के माध्यम से अनुसूची III के संशोधन पर, उसी प्रतिस्थापन को घोषणा में स्वचालित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। अनुसूची में संशोधन और नियम 9(1) के तहत घोषणा अलग-अलग क्षेत्रों का हिस्सा है और यदि एक क्षेत्र में

कुछ होता है तो यह स्वचालित रूप से नहीं माना जाएगा कि दूसरे क्षेत्र में भी हुआ है।

(6) अब अपीलकर्ता के दूसरे तर्क पर आते हैं कि नियम 9 (1) के तहत परिकल्पित घोषणा हमेशा एक जीवित घोषणा होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि संवर्ग पद के लिए पूर्व- संवर्ग पद की समानता ऐसे पद की होनी चाहिए जो घोषणा के अस्तित्व में रहने तक अस्तित्व में रहे।दूसरे शब्दों में, समतुल्यता की घोषणा उस पद के लिए नहीं हो सकती जो अस्तित्व में ही नहीं है ।अनुसूची III में संवर्ग पदों को इंगित करता है।इस तर्क के लिए अपीलकर्ता द्वारा ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, (1) में उच्चतम न्यायालय के *फैसले पर मजबूत* निर्भरता *रखी गई थी।* हमारा ध्यान फैसले के पैरा 82 की ओर आकर्षित हुआ, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 से संबंधित है, जो वेतन नियमों के नियम 9 के बराबर है। इस बात पर जोर दिया गया कि संवर्ग में एक पद की समकक्षता और घोषणा एक गैर- संवर्ग पद के लिए एक संवर्ग अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, अपीलकर्ता के अनुसार 1982 के बाद से, पुलिस महानिरीक्षक का पद अनुसूची III में,अस्तित्व में नहीं था। समकक्षता की घोषणा गैर-स्थायी या मृत हो गई और अपीलकर्ता को पूर्व- संवर्ग पद पर जारी रखने का एकमात्र तरीका संवर्ग में किसी मौजूदा पद के लिए फिर से समकक्षता घोषित करना था। हमें अपीलकर्ता की दलीलों में कोई दम नजर नहीं आता। जब अपीलकर्ता को गैर-संवर्ग पद पर नियुक्त किया गया था और वेतन नियमों के नियम 9(1) द्वारा परिकल्पित समकक्षता की घोषणा जारी की गई थी, तो पुलिस महानिरीक्षक का पद अनुसूची में बहुत अधिक था।

(7) यदि पद समाप्त कर दिया जाता है तो वह घोषणा अभी भी लागू रहेगी क्योंकि नियम 9 के तहत घोषणा का पूरा विचार यह

है कि पदधारी को पता होना चाहिए कि उसकी स्थिति और जिम्मेदारी संवर्ग में किसी पद के बराबर है। भले ही पद समाप्त कर दिया जाए, फिर भी उसे पता होगा कि उसकी स्थिति और जिम्मेदारी उस पद के बराबर है जो कभी कैडर में था जब उसे एक पूर्व- संवर्ग पद पर नियुक्त किया

गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश घोषणा (अनुलग्नक पी-3) को पढ़ने में सही थे, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, जिसका अर्थ यह था कि जेल महानिरीक्षक, हरियाणा के पद की स्थिति और जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक हरियाणा के पद के बराबर थी। जो 20 अक्टूबर, 1982 तक वेतन नियमों की अनुसूची III में निर्दिष्ट था। अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि जिस पद के लिए पूर्व- संवर्ग पद के बराबर किया गया है, उसे विद्यमान रहना चाहिए हर समय जब पदधारी पूर्व-कैडर पद धारण कर रहा हो। इसमें केवल यह कहा गया है कि जब किसी पदाधिकारी को पूर्व-संवर्ग पद पर नियुक्त किया जाता है तो एक घोषणा जारी की जानी चाहिए कि उक्त पद उस समय अनुसूची में मौजूद पद के बराबर है जब शुरुआत में घोषणा जारी की गई थी।

(8) ऊपर दर्ज कारणों से, यह अपील विफल हो गई और खारिज कर दी गई, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा